2/3/17 फायनेलाइड वकील द्वारा
वादी/मृत करने प्रस्ताव
14/3/17 को पेश हुई।

[illegible] पेश हुए P. O. आज

[illegible] पूर्वानुसार [illegible]

[illegible] को पेश हुए।

31/5/17 पत्रावली आज दिनांक को व्याख्य आपके हार कैम्प मामला में प्रस्तुत हुई। तहसीलदार पलवारामसर से एडिजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस उभय पक्षो की सुनवाई लोक अदालत की मांगणा से की गई। दरियाफ्त करने से मालूम किया प्राप्त एडिजात रिपोर्ट के अनुसार बाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है

1- रामफूल पुत्र रामचन्द मीणा सा० देह को रू० न० 338/5 रकबा 0.4 किक्र० लगान 1.57 रुपये कायम किए जाते है।

2- कल्याण पुत्र भुवाना (मृतक) कस्तिनान किशना, गोपाल कि० कल्याण मीणा सा० देह को रू० न० 338/5। रकबा 0.4 किस्म का० लगान 0.59 कायम

फर्द अहकाम

किशना बनाम रामचन्द्र

6211)

आज्ञा या डिक्री	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	डिक्त हुआ है।	
	उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के पालनार्थ वसु भिजवाई जावे।

पगधली फैसले शुमार होकर नस्ती के कार्य हो।

फाड़ दर्ज वाकिल उपखण्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 31/5/18 को खेम नापला में खुलकाम सुनाया गया।